प्रकरण संख्या 89/2007

उनवान दलपत सिंह / तहसीलदार टोंक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	है।चूंकि विचाराधीन अपील उनवान दलपत सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टोंक भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक के निर्णय दिनांक 08.02.2007 के विरूद्व ही प्रस्तुत कि गई है। इस कारण विचाराधीन अपील के साथ न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 04.01.2024 कि प्रति संलग्न करते हुये अपील का निस्तारण किया जाना न्याय संगत है। हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विचाराधीन अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 08.02.2007 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक ने तहसीलदार टोंक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे श्रीमति सुशिला कुमारी धर्म पत्नि श्री रावराजा राजेन्द्र सिंह के नाम ग्राम लाम्बा व निमोला तहसील टोंक मे कुल 464.14 बीघा भूमि खातेदारी मे दर्ज होने के कारण सिलिंग सीमा से अधिक होने पर उक्त भूमि को अधिग्रहण कर राजस्व रिकार्ड मे सिलिग सिवायचक दर्ज कर तहसीलदार टोंक को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने का उल्लेख करते हुये दिनांक 08.02.2007 को निर्णय पारित किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 08.02.2007 के विरूद्व पूर्व मे न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील संख्या 90/2007 उनवान श्रीमति विश्व ज्योति बनाम राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार टोंक मे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.01.2024 को निर्णय पारित कर अपील अपीलांट स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक का निर्णय दिनांक 08.02.2007 को निरस्त किया गया है। विचाराधीन अपील उनवान दलपत सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टोंक भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोक के निर्णय दिनांक 08.02.2007 के विरूद्व ही प्रस्तुत कि गई है। चूंकि अपील संख्या 90/2007 निर्णय दिनांक 04.01.2024 व प्रश्नगत अपील मे विवादित भूमि समान होने के कारण अपील मे पुनः निर्णय पारित किया जाना हम उचित नही समझते है। प्रश्नगत अपील का निर्णय अपील संख्या 90/2007 निर्णय दिनांक 04.01.2024 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। जिला कलेक्टर टोंक